

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, कांकर को कोण्डागांव जिले के केशकाल वनमंडल के परिक्षेत्र केशकाल के ग्राम जामगांव में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण हेतु रकबा 3.24 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 17 -02-2023

Place : Raipur

Name

-

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary

Designation

-

Government of Chhattisgarh
Dept. of Forest & Climate Change
Mandiraya, Nawa Raipur
C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-02/2023/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/02/2023

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरुण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015 ।

विषय:- Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for 132/33 KV Sub-Station area 3.24 ha. at Kanker Forest Division in District Kaondagaon in State of Chhattisgarh- reg.

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-187/124, दिनांक 13.01.2023 ।

—00—

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :-

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र - कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, कांकर द्वारा कोण्डागांव जिले के केशकाल वनमंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण हेतु ग्राम जामगांव परिक्षेत्र केशकाल में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में रकबा 3.24 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु मांग किया गया है ।	1-2
2	प्रपत्र-I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) - आवेदक विभाग के मांग अनुसार प्रकरण का ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक-FP/CG/ SubStation/145115/2021 दिनांक 29.11.2021 को आबंटित किया गया है। प्रपत्र-1 में रजिस्ट्रेशन क्रमांक दर्ज किया गया है ।	3
3	वनक्षेत्र का विवरण - कोण्डागांव जिले के केशकाल वनमंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र हेतु निर्माण हेतु ग्राम जामगांव परिक्षेत्र केशकाल में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में रकबा 3.24 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है । प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.3 से 0.4 है ।	4

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप																		
4	गैर वनक्षेत्र का विवरण — वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु गैर वन भूमि प्रस्तावित नहीं है।	5																		
5	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर — प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया की मूल टोपोशीट क्रमांक 64 एच/12, 1:50,000 स्केल मानचित्र पर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को चिन्हित कर संलग्न किया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी, केशकाल वनमंडल द्वारा हस्ताक्षित है।	6 — 8 एवं डीजीपीएस रिपोर्ट																		
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप — वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप एवं 10 कि.मी परिधि का वेजिटेशन मूल टोपोशीट क्रमांक 64 एच/12 एवं क्रमांक 65 ई/9, 1:50000 स्केल में चिन्हित कर संलग्न किया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी, केशकाल वन मंडल द्वारा हस्ताक्षित है।	9 — 11																		
7	प्रपत्र —4 में प्रस्ताव — कोण्डागांव जिले के केशकाल वन मंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र हेतु निर्माण हेतु ग्राम जामगांव परिक्षेत्र केशकाल में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में रकबा 3.24 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु वन मंडलाधिकारी केशकाल वन मंडल द्वारा जारी प्रपत्र—4 प्रस्ताव में संलग्न है। उपकेन्द्र स्थापना हेतु घटकवार निम्नानुसार भूमि की आवश्यकता होगी:— <table border="1" data-bbox="216 1205 1219 1518"> <thead> <tr> <th>क्र.</th><th>कार्य का मद</th><th>रकबा (हे. में)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>132/33 के.व्ही यार्ड</td><td>1.562</td></tr> <tr> <td>2</td><td>नियंत्रण कक्ष</td><td>0.050</td></tr> <tr> <td>3</td><td>रोड/केबल ट्रेंच</td><td>0.100</td></tr> <tr> <td>4</td><td>फियूचर — बे</td><td>1.528</td></tr> <tr> <td></td><td>योग</td><td>3.240</td></tr> </tbody> </table>	क्र.	कार्य का मद	रकबा (हे. में)	1	132/33 के.व्ही यार्ड	1.562	2	नियंत्रण कक्ष	0.050	3	रोड/केबल ट्रेंच	0.100	4	फियूचर — बे	1.528		योग	3.240	12 — 23
क्र.	कार्य का मद	रकबा (हे. में)																		
1	132/33 के.व्ही यार्ड	1.562																		
2	नियंत्रण कक्ष	0.050																		
3	रोड/केबल ट्रेंच	0.100																		
4	फियूचर — बे	1.528																		
	योग	3.240																		
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप — कोण्डागांव जिले के केशकाल वनमंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र हेतु निर्माण हेतु ग्राम जामगांव परिक्षेत्र केशकाल में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में रकबा 3.24 हे. वन भूमि की मांग की गई है। चयनित वन भूमि भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त है। प्रस्ताव अनुसार परियोजना की कुल लागत 21.00 करोड़ रुपये है। परियोजना का लागत विवरण भी प्रस्ताव में संलग्न है।	24 — 28																		
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र — आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में वन भूमि के बदले वन विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मांग किये जाने वाली राशि जमा करने हेतु वचनवद्ध है, इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	29 — 30																		

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
10	न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र -- कोण्डागांव जिले के केशकाल वनमंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र हेतु निर्माण हेतु ग्राम जामगांव परिक्षेत्र केशकाल में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में रकबा 3.24 हे. वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है। इस आशय का वनमंडलाधिकारी, केशकाल का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	31 – 32
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र -- प्रस्तावित कार्य हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	33
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र--अ एवं ब में) -- 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र हेतु निर्माण हेतु ग्राम जामगांव परिक्षेत्र केशकाल में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में रकबा 3.24 हे. वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 160 नग वृक्ष विद्यमान है। प्रस्ताव में फार्म 1(a) एवं 1(b) में कुल वृक्षों की संख्या एवं आयतन का विवरण दिया गया है तथा मार्किंग बुक की छाया प्रति भी प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।	34 – 48
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस -- प्रकरण में प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल 20 हे. से कम होने के कारण लागू नहीं है।	49
14	चयनित गैर वनक्षेत्र /निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) -- प्रस्तावित परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के परिक्षेत्र दुर्गुकोंदल के ग्राम घोटुलमुण्डा प.ह.न. 04 के खसरा क्र. 92 में समतुल्य राजस्व भूमि 3.24 हे. में प्रस्तावित है। कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकर का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 27.12.2022 संलग्न है। खसरा फार्म पी-2 प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 75 एवं 76 में संलग्न है।	50
15	गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा -- प्रस्तावित परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित राजस्व भूमि के आसपास का नक्शा संलग्न है। नक्शा प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 77 में संलग्न है।	51
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना -- वन संरक्षण अधिनियम के गार्ड लाईन अनुसार 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण के प्रस्तावित प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के परिक्षेत्र दुर्गुकोंदल के ग्राम घोटुलमुण्डा प.ह.न. 04 के खसरा क्र. 92 में समतुल्य राजस्व भूमि 3.24 हे. चयन कर वृक्षारोपण योजना 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र रिपोर्ट सहित प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।	52 – 84
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र -- परियोजना के विरुद्ध पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के परिक्षेत्र दुर्गुकोंदल के ग्राम घोटुलमुण्डा प. ह.न. 04 के खसरा क्र. 92 में समतुल्य राजस्व भूमि 3.24 हे. चयन किया गया है जो परिक्षेत्र अधिकारी दुर्गुकोंदल, उपवनमंडलाधिकारी, भानुप्रतापपुर एवं वनमंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर द्वारा की गई संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।	85

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण — प्रस्तावित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	86 — 87
19	अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण — प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण विवरण निरंक है।	88
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही — प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अधिनियम उल्लंघन की प्रस्तावित कार्यवाही निरंक है।	89
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र — प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के परिक्षेत्र दुर्गुकोंदल के ग्राम घोडुलमुण्डा प.ह.न. 04 के खसरा क्र. 92 में समतुल्य राजस्व भूमि 3.24 हे. का चयन किया गया है। अतः गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	90
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान — प्रस्तावित प्रकरण विद्युत उपकेन्द्र निर्माण से संबंधित होने के कारण कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।	91
23	रिक्लेमेशन प्लान — प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन निर्माण से संबंधित होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	92
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) — प्रस्तावित प्रकरण विद्युत उपकेन्द्र निर्माण से संबंधित होने के कारण आई.बी.एम. नागपुर से माईनिंग प्लान अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं है।	93
25	व्यवस्थापन प्लान — प्रस्तावित प्रकरण विद्युत उपकेन्द्र निर्माण में प्रभावित वन एवं राजस्व वन भूमि में किसी भी प्रकार का व्यवस्थापन नहीं किया गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	94
26	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) — प्रस्तावित 3.24 हे. वन भूमि के लिए वनमंडलाधिकारी केशकाल का प्रतिवेदन (प्रपत्र III एवं भाग 2) एवं मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का प्रतिवेदन (भाग-3) संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवेदित वन भूमि का वन घनत्व 0.3 से 0.4 है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के 160 नग वृक्ष विद्यमान है। दिनांक 04.02.2022 को भौतिक निरीक्षण के आधार पर वन मंडलाधिकारी केशकाल ने आवेदित क्षेत्र पर गैर वानिकी प्रयोजन में देने की अनुशंसा की है। मुख्य वन संरक्षक, कांकेर ने वन मंडलाधिकारी केशकाल के सुझाव पर सहमति व्यक्त करते दिनांक 08.08.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव की अनुशंसा की है। —प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत पूर्ण अनुमति लेने का अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है। वनमंडलाधिकारी केशकाल द्वारा प्रस्ताव राष्ट्रहित/जनहित होने के कारण आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि का भौतिक निरीक्षण कर गैर वानिकी प्रयोजन की अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा पर सहमत होते हुए मुख्य वन संरक्षण द्वारा प्रस्ताव पर अनुशंसा व्यक्त की गई है। अतः उपरोक्त अनुशंसा से सहमत होते हुए भाग-4 में अनुशंसा संलग्न है।	95 — 105

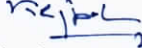
बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
27	ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र — प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र हेतु आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ईमारत/स्मारक या भवन नहीं होने का वन मंडलाधिकारी, केशकाल का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है।	106
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — प्रस्तावित परियोजना 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र हेतु निर्माण हेतु ग्राम जामगांव परिक्षेत्र केशकाल में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में रकबा 3.24 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु ग्राम पंचायत जामगांव का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	107 — 114
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) — प्रस्ताव अनुसार जिले में कुल वन भूमि 408407.00 हे. है।	115
30	व.स.अ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में. — वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कोण्डागांव जिले की केशकाल वनमंडल के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों की संख्या 14 एवं प्रत्यावर्तित वन रकबा 297.838 हे. है। विभागवार स्वीकृत प्रकरणों का विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।	116
31	व.स.अ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे.में — केशकाल वनमंडल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसी श्रेणी के 65.040 हे. राजस्व वन भूमि व्यपवर्तित हुआ है।	117
32	प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी — प्रस्तावित प्रकरण विद्युत लाईन निर्माण के अन्तर्गत 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित/प्रस्तावित नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, केशकाल एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है।	118 डी
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन — प्रस्तावित परियोजना खनन प्रकरण नहीं होने से आवश्यक नहीं है।	119
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र — भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No.-11-9/1998-FC-दिनांक 03.08.2009 एवं दिनांक 05.02.2013 के अनुक्रम में प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के प्रस्ताव में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर कांकेर का प्रमाण पत्र दिनांक 27.11.2021 को जारी एनेक्चर—I एवं II एवं प्रदर्श—स की मूल प्रति तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रदर्श—ब की मूल प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।	120 — 125

विंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र— प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के लिए 3.24 हे. वनभूमि भी प्रस्तावित है। अतः राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर, जिला कांगेर का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 27.11.2021 की प्रति संलग्न है।	126 — 127
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र — शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की दर जो भी वन विभाग तय करेगा वह राशि छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. संभाग कांगेर जमा करने हेतु वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	128 — 129
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance — वन भूमि के व्यवर्तन प्रस्ताव से संबंधित भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जो भी राशि शर्त अनुसार निर्धारित है उसे आवेदक संस्थान से CAMPA निधि में तत्काल जमा कराया जावेगा।	130
38	“A detailed note on Soil Productivity or the lack of it” — आवेदित वनभूमि में भूमि की प्राकृतिक माप प्रायः चिकनी एवं दोमट मिट्टी है।	131
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र — आवेदित वन भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है एवं वन विभाग के नियमानुसार स्वीकृति मिलने के पूर्व कोई भी कार्य नहीं किया जावेगा। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	132 — 133
40	Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 — प्रस्तावित प्रकरण 500 हेक्टेयर से कम होने के कारण वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं है।	134
41	पंजीयन क्रमांक—पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण — आवेदक से पंजीयन शुल्क मूल्य 6000/— एवं प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क मूल्य 18,000/— कुल मूल्य 24000/— की राशि वनमण्डलाधिकारी केशकाल वनमंडल के पी. डी. खाता में जमा किया गया है।	135 — 136
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत — लागू नहीं।	137
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण — प्रस्तावित प्रकरण हेतु आवश्यक नहीं है।	138
44	प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण — प्रस्ताव में अन्य कमियां नहीं हैं।	139

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न: - प्रस्ताव 1 प्रति में।


(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/02/2023

पृ.क्रमांक/एफ 5-02/2023/10-2

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़,।
 2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
 3. वनमंडलाधिकारी, केशकाल/पूर्व भानुप्रतापपुर वन मण्डल, छत्तीसगढ़।
 4. कार्यपालन अभियंता (सिविल), संभाग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण लाईन कंपनी लिमि. कांकेर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।



अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

०६